

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

फकीरचन्द



बनाम

राजपाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर ~~230~~ 230

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
30.09.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दरतावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल /अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 94/93 की कुल 3.5550 है भूमि की रिकार्ड की यथारिथति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश ,खाला, रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> पत्रावली नम्बर 29/11/22 वकील सायल उपस्थित नहीं। भानाज जागवाड़ी गड्डि परन्तु ना हो सम्मन स्वयं उपस्थित और ना ही वकील सायल उपस्थित। अतः सायल व वकील सायल के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरनी में रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली नम्बर से इस होकर इफ्तार दाखिल हो। </p> <p style="text-align: center;">  उप सहायक अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) </p>	

